


406

282

II / निगम / सीधी / 2018 / 01096

(सहित के शिवाफा)

मालय श्री मान राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0 श्रृंखला न्यायालय रीवा (म0प्र0)



प्रक0 क0.....

- 1- भास्कर सिंह } दोनो पुत्र स्व. श्री अमरजीत सिंह
- 2- भूपेन्द सिंह }

सभी निवासी ग्राम कुशमहर तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी म0प्र0.....निगरानीकर्ता
(अनावेदकगण).

बनाम

बृजभान कोरी तनय श्री गल्होरी कोरी साकिन करनपुर तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी
म0प्र0गैरनिगरानीकर्ता

(आवेदक)

अधिवक्ता महोदय कु. श्रीगोहात्री
द्वारा पेशा 12-02-18

कलकत्ता
राजस्व मंडल म. प्र. 0

निगरानी (पुनरीक्षण) विरुद्ध न्यायालय श्री मान नायब
तहसीलदार वृत्त हनुमानगढ तहसील रामपुर नैकिन जिला
सीधी (म0प्र0)

द्वारा प्रकरण क0 24/अ 70/14-15 में पारित अंतरिम
आदेश दिनांक 07/11/2017

अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भूरा0सं01959

मान्यवर,

प्रार्थी निगरानीकर्तागण की ओर से उपरोक्त विषयांतर्गत निम्नांकित
पुनरीक्षण प्रस्तुत है:-

प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य :-

गैर निगरानीकर्ता ने एक मिस्तीनियस शिकायतद्वारा आवेदन जनसुनवाई
में श्रीमान कलेक्टर महोदय सीधी (म0प्र0) के यहां एक झूठा आवेदन पत्र इस आशय का
प्रस्तुत किया गया कि ग्राम कुशमहर तहसील रामपुर नैकिन की भूमि खसरा क0 3296/2 का
8000/रू0(आठ हजार रू0) राजस्व निरी0 को देकर सीमांकन कराया और राजस्व निरीक्षक ने
इसके बाद भी अनावेदकगण के नाम उक्त भूमि पर कब्जा लिख दिया अतः निवेदन है कि मेरी
जमीन का कब्जा दिलाया जाय तथा उचित कार्यवाही की जाय। गैर निगरानी कर्ता के उक्त
आवेदन को निराकरण हेतु अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार हनुमानगढ तहसील रामपुर
नैकिन के पास प्रेषित कर दिया गया ।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

282

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक II/A/ग.ग./2018/2018/1096 जिला सीकर

मातृकार सिद्ध विरुद्ध बृजनाथ कोरी

1	2	3
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>महेन्द्र कुंआर शर्मा</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ नायब तहसीलदार तहसील <u>साकुर नैकिन</u> के प्रकरण क्रमांक <u>24(1470/14/15</u> में पारित आदेश दिनांक <u>07-11-17</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>सीकर</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>17-1-19</u> को कलेक्टर <u>सीकर</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	




सदस्य

आवेदन को निराकरण हेतु अयागस्य साकुर नैकिन के पास प्रेषित कर दिया गया ।

